# न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जयपुर

पीठासीन अधिकारी– श्री बाबूलाल गोयल, **RAS**।
अपील संख्या 12/2021 जिला सीकर ।

मदनलाल पुत्र भगवान सहाय जाति माली निवासी ढाणी भरण, तन थोई, तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

अपीलान्टान्

बनाम

1. कमला देवी पत्नी केदारमल
2. बसन्ती देवी पत्नी बंशीधर समस्त जाति माली निवासी ढाणी भरण की तन थोई तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
3. बनवारी लाल पुत्र कजोडमल जाति सैनी निवासी ढाणी त्रिलोकसिंह वाली, तन चौकडी, तहसील खण्डेला जिला सीकर।
4. तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

रेस्पोडेन्टस्

अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर दिनांक 15.01.2021 अन्तर्गत राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री श्यामबाबू पारीक।
2. वकील रेस्पोडेंट शिवराज शर्मा।

निर्णय

दिनांक–05.01.2022

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर के निर्णय दिनांक 15.01.2021 के खिलाफ दिनांक 26.02.2021 को प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय हाजा के समक्ष न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर द्वारा नामान्तकरण संख्या 1055 दिनांक 24.9.2009 के संबंध में दिनांक 18.10.2011 को पारित आदेश के विरूद्ध तथा न्यायालय अति0 जिला कलक्टर सीकर द्वारा नामान्तकरण संख्या 30 दिनांक 25.01.2012 के संबंध में दिनांक 16.6.2015 को पारित आदेश के विरूद्ध अपीले प्रस्तुत की गई।
3. न्यायालय हाजा द्वारा उक्त दोनो अपीलो में सुनवाई पश्चात दिनांक 05.03.2019 को निर्णय पारित कर शीर्षक अपील कमला बनाम मदनलाल अपील संख्या 18/2016 कों खारिज की गई तथा शीर्षक अपील मदनलाल बनाम कमला देवी अपील सख्या 77/2011 स्वीकार कर तहसीलदार श्रीमाधोपुर को रिमाण्ड किया गया।
4. न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 05.03.2019 की पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.01.2021 पारित कर आदेशित किया कि वर्तमान राजस्व ग्राम लीला की ढाणी (पूर्व में राजस्व ग्राम थोई) तहसील श्रीमाधोपुर के कृषि भूमि खसरा नम्बर 1453 रकबा 0.08 है0, 1454 रकबा 0.44 है0, खसरा नम्बर 1455 रकबा 0.02 है0, खसरा नम्बर 1456 रकबा 2.62 है0, खसरा नम्बर 1457 रकबा 0.51 है0 कुल किता 5 रकबा 3.67 है0 के संबंध में भरे गये नामान्तकरण संख्या 1055 को स्वीकार किया जाकर उक्त भूमि के रेस्पोडेंट नम्बर 2 के नाम दर्ज चले आ रहे 1/3 हिस्से में से 3/4 हिस्सा भूमि अर्थात स्म्पूर्ण भूमि में 1/4 हिस्सा भूमि का नामान्तकरण अपीलांटस् के नाम दर्ज करे।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner

5. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

6. अपीलांट् के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि आराजी खसरा नमबर 1453, 1454, 1455, 1456, 1457 कुल किता 5 रकबा 3.67 है0 ग्राम थोई में स्थित है। उक्त भूमि को अपीलांट व उसके भाई गोपीराम, पूरणमल, मोतीलाल ने क्रय की व चारो भाई के नाम नामान्तकरण संख्या 186 दिनांक 25.06.1976 को स्वीकार किया व चारो भाई 1/4–1/4 भाग के खातेदार हो गये। बवक्त सैटलमेंट अपीलांट का नाम विलोपित करवाकर 1/3–1/3 भाग के तीनो भाईयो के नाम इन्द्राज करवा लिया। उक्त इन्द्राज के आधार पर मोतीराम उर्फ मोतीलाल ने अपना 1/3 भाग रेस्पोडेंट संख्या 03 को विक्रय कर दिया एवं बनवारीलाल ने 1/3 भाग में 1/12 भाग की भूमि रखकर रेस्पोडेंट 1 व 2 को भूमि विक्रय कर दी। अपीलांट को जैसे ही सैटलमेंट की गलती की जानकारी हुई। अपीलांट ने इस्तगासा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 270/2006 दर्ज कराई व नामान्तकरण की अपील की व एक दावा उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर के यहां प्रस्तुत किया जो जैरकार है। विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तकरण संख्या 1055 दिनांक 24.09.2009 की अपील उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर के हुई जो दिनांक 18.10.2011 को रिमाण्ड की गई। तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने नामान्तकरण संख्या 30 स्वीकार किया। उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर द्वारा दिनांक 18.10.2011 को पारित आदेश की अपील श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत की जिस पर श्रीमान ने स्थगन आदेश प्रदान किया व तहसीलदार ने नवीन नामान्तकरण संख्या 30 स्वीकार किया गया। श्रीमान के समक्ष अति0 जिला कलक्टर सीकर द्वारा दिनांक 16.6.2015 को पारित आदेश के विरूद्ध कमला देवी व बसंती ने अपील संख्या 18/2016 पेश की व प्रार्थी ने दिनांक 18.10.2011 को पारित आदेश के विरूद्ध अपील संख्या 77/2011 प्रस्तुत की। श्रीमान ने उक्त दोनो अपीलो में दिनांक 05.03.2019 को निर्णय पारित कर अपीलांट की अपील सख्या 77/2011 स्वीकार की व रेस्पोडट संख्या 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत अपील कों खारिज कर दी गई। तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने श्रीमान के निर्णय दिनांक 5.3.2019 के तहत कार्यवाही प्रारम्भ की गई। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को व्यवहार उचित न होने से अपीलांट ने जिला कलक्टर सीकर के मुन्तकिली प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिस पर जिला कलक्टर सीकर ने पैरावाईज टिप्पणी दिनांक 29.9.2020 के पूर्व भेजने की आज्ञा की। इस पर अपीलांट ने जिला कलक्टर सीकर से दिनांक 7.9.2020 को तहरीर प्राप्त कर दिनांक 8.9.2020 को ही तहसील कार्यालय में भेज दी जिसके दर्ज क्रमांक 1803 दिनांक 8.9.2020 है। उक्त तहरीर को पत्रावली में शामिल करने की आज्ञा दिनांक 05.01.2021 को प्रस्तुत की दी गई व तहसीलदार ने दिनांक 15.1.2021 की पेशी दे दी। प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर के कोई पेशी बहस हेतु न थी लेकिन उन्होने सरासी न्याय के नैसर्गिक सिद्धांतो के विपरीत एवं सभी कानून व नियमो को ताक पर रखकर दिनंक 15.1.2021 को आदेश पारित कर दिया गया। आर. आर.डी 1974 पेज 50 में स्पष्ट व्यवस्था दी है कि जब मुन्तकिली प्रार्थना पत्र न्यायालय के विरूद्ध प्रस्तुत कर दिया है तो उस न्यायालय के पीठासीन अधिकारी को प्रकरण को सूनना ही नही चाहिये था। निर्विवाद है कि अपीलांट 1/4 भाग का रिकार्डेड खातेदार था व उसकी खातेदारी को क्षेत्राधिकार बाहर जाकर निरस्त किया गया था व दुरूस्ती का दावा पूर्व में विचाराधीन था। ग्राम पंचायत ने जो नामान्तकरण निरस्त किया वह कब्जे के आधार पर किया था। अतः अपील अपीलांट् स्वीकार की जाकर तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर द्वारा पारित आदेश 15.01.2021 निरस्त फरमाया जावे।

7. रेस्पोडेंट के योग्य अधिवक्ताओ ने अपील के तथ्यो को अस्वीकार करते हुये मुख्य रूप से कथन किया है कि अपीलांट द्वारा न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर के

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner

समक्ष उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर द्वारा दिनांक 18.10.2011 को पारित आदेश के विरूद्ध अपील संख्या 77/2011 प्रस्तुत की गई थी तथा रेस्पोडेंट कमला देवी व बसंती के द्वारा न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर के समक्ष अति0 जिला कलक्टर सीकर द्वारा दिनांक 16.6.2015 को पारित आदेश के विरूद्ध अपील संख्या 18/2016 पेश की गई थी। न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर ने उक्त दोनो अपीलो में दिनांक 5.3.2019 को निर्णय पारित कर अपीलांट मदन लाल द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 77/2011 स्वीकार कर तहसील श्रीमाधोपुर को रिमाण्ड की गई तथा रेस्पोडेंट कमला व बसंती द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 18/2016 को खारिज कर दी गई। न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 5.3.2019 की पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा दोनो पक्षो को सुनकर दिनांक 15.01.2021 को विधिवत निर्णय पारित किया गया है। दौराने सुनवाई रेस्पोडेंट द्वारा तहसीलदार श्रीमाधोपुर के समक्ष कब्जे के संबंध में 10 व्यक्तियो के शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये। अपीलांट प्रकरण में निर्णय नही होने देना चा रहे है। गत 15 वर्षो से प्रकरण को विभिन्न न्यायालयो में प्रस्तुत किया जा चुका हैं। अपीलांट द्वारा जिला कलक्टर सीकर के समक्ष प्रस्तुत की गई मुन्तकिली प्रार्थना पत्र केवल अंदेशा के आधार पर पेश की गई है। अपीलांट का नियमित वाद विचाराधीन है। रेस्पोडेंट द्वारा सम्पूर्ण रकबे में से 1/4 हिस्सा भूमि ही क्रय की गई हैं ना ही 1/3। रेस्पोडेंट द्वारा क्रय की गई भूमि पर वर्तमान में रेस्पोडेंट का कब्जा है। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर द्वारा न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 5.3.2019 की पालना में विधिक प्रक्रिया अपनाते हुये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.01.2021 पारित किया है जिसमें कोई त्रुटि नही है। अतः अपीलांट् द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज फरमायी जावे।

8. मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण में मुख्य विवाद आराजी खसरा नम्बर 1453, 1454, 1455, 1456, 1457 कुल किता 5 रकबा 3.67 है0 तन ग्राम थोई के संबंध में है। अपीलांट मदनलाल द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर द्वारा नामान्तकरण संख्या 1055 दिनांक 24.9.2009 के संबंध में दिनांक 18.10.2011 को पारित आदेश के विरूद्ध अपील संख्या 77/2011 तथा रेस्पोडेंट कमला देवी व बसंती के द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष न्यायालय अति. जिला कलक्टर सीकर द्वारा नामान्तकरण संख्या 30 दिनांक 25.01.2012 के संबंध में दिनांक 16.6.2015 को पारित आदेश के विरूद्ध अपील संख्या 18/2016 पेश की गई थी। न्यायालय हाजा ने उक्त दोनो अपीलो में सुनवाई पश्चात दिनांक 05.03.2019 को निर्णय पारित कर अपीलांट मदन लाल द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 77/2011 स्वीकार कर तहसील श्रीमाधोपुर को रिमाण्ड की गई तथा रेस्पोडेंट कमला व बसंती द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 18/2016 कों खारिज की गई। न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.03.2019 के क्रम में तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा दिनांक 15.01.2021 को निर्णय पारित किया गया तथा अपने निर्णय में विवेचन किया है कि "वर्तमान राजस्व ग्राम लीला की ढाणी (पूर्व में राजस्व ग्राम थोई) तहसील श्रीमाधोपुर के कृषि भूमि खसरा नम्बर 1453 रकबा 0.08 है0, 1454 रकबा 0.44 है0, खसरा नम्बर 1455 रकबा 0.02 है0, खसरा नम्बर 1456 रकबा 2.62 है0, खसरा नम्बर 1457 रकबा 0.51 है0 कुल किता 5 रकबा 3.67 है के संबंध में भरे गये नामान्तकरण संख्या 1055 को स्वीकार किया जाकर उक्त भूमि के रेस्पोडेंट नम्बर 2 (वर्तमान रेस्पोडेंट संख्या 03) के नाम दर्ज चले आ रहे 1/3 हिस्से में से 3/4 हिस्सा भूमि अर्थात सम्पूर्ण भूमि में 1/4 हिस्सा भूमि का नामान्तकरण अपीलांटस् (वर्तमान रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2) के नाम दर्ज करे उक्त भूमि की खातेदारी इस अनुसार अपीलांटस के हक में दर्ज करने के आदेश पारित किये गये हैं।"

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner

9. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह प्रतित होता है कि अपीलांट मदन लाल द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार श्रीमाधोपुर के समक्ष दोराने सुनावई प्रकरण में दिनाक 17.12.2020 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने न तो उक्त प्रार्थना पत्र को पत्रावली की आदेशित दिनांक 17.12.2020 में लिया ना ही उसका निस्तारण किया तथा अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया गया है। इसी प्रकार अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशित दिनांक 05.01.2021 में जिला कलक्टर सीकर के पत्रांक 215 दिनांक 7.9.2020 का अंकन किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया है परन्तु उक्त पत्र अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध नही हैं। हम समझते है कि अपीलाधीन निर्णय सरसरी तौर पर तथा बिना कोई विधिक प्रकिया अपनाये तथा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का निस्तारण किये बिना पारित किया गया है जो बहाल रखे जाने योग्य नही है तथा अपीलांट की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

10. अतः परिणामस्वरूप अपील अपीलांट् आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.01.2021 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रकरण में उभयपक्षो की सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुये प्रार्थना पत्रो का निस्तारण कर विधि के प्रावधानों के तहत पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

11. अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो

(बाबूलाल गोयल)
अति.सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर

12. निर्णय आज दिनांक 05.01.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बाबूलाल गोयल)
अति.सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर

Scanned by CamScanner